



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 801/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर बांसवाड़ा, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग सचिवालय जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
निर्णय**

दिनांक : 15-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजेश कुमार शर्मा, अनुभागाधिकारी उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-01-2017 के द्वारा राजस्थान राज्स के माही बेसिन में कुल कितने क्षेत्रफल में वर्षा का जल आता है तथा इससे कितनी भूमि सिंचित व असिंचित होती है इसका क्षेत्रफल तथा माही बेसिन में से गुजरात राज्य की ओर बह कर जाने वाले पानी के आंकड़े तथा इस संबंध में वेबसाईड पर उपलब्ध नहीं कराने का दायित्व जिस अधिकारी का था उसका नाम व पता के संबंध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग जयपुर को अन्तरित करदी गई थी।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-02-2018 प्रस्तुत किया गया है जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार अपीलार्थी का आवेदन नियम 6(3) में संबंधित विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त